न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(मुरारी लाल शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 31 / 2021
प्रविष्टि दिनांक 02.09.2021

1–रामप्रसाद पुत्र किशन लाल जाति जाट निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2–सत्यनारायण पुत्र किशन लाल जाति जाट निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार दूनी जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार दूनी दिनांक 24.08.2021 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपरिथति : (1) श्री विजय पारीक, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय   दिनांक 09.09.2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दूनी ने अपने आदेश दिनांक 24.08.2021 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 55 व 93 मे से रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 चरागाह वाके ग्राम सरोली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार दूनी के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर न तो पहले कब्जा था और न ही वर्तमान मे कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह [illegible] आदेश की परिभाषा मे नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित [illegible] मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:20:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

मंगवाई और न ही मौका निरीक्षण किया गया है। पटवारी हल्का के साक्ष्य भी लेखबद्व नही है। अपीलांट ने कब्जा छोडने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इरादे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी गै0मु0 चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नही है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यांनपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 55 व 93 मे से रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 चरागाह वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी पर पीलर तारबंदी लगाकर अतिक्रमण किया है। अपीलांट द्वारा शपथ पत्र बाबत हटाये जाने कब्जा प्रस्तुत किया। राजकीय पैरोकार ने भी अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नही की है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.08.2021 के जरिये की गई दोष सिद्वी एंव अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है,परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि नायब तहसीलदार दूनी यह सुनिश्चित करेगे की अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नही हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित मे उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एंव भविष्य मे पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलांट कब्जा नही करेगा। यदि अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटाया जाने का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है या अतिक्रमी उसी भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।नायब तहसीलदार दूनी हल्का पटवारी से उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध मे मासिक रिपोर्ट लेवे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:20:36 IST
Reason: SelfAttested

9.9.2021
(मुरारी लाल शर्मा)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner